

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | गुरुवार, 25 फरवरी 2021 | www.delhi.nbt.in

सिंगल पैरंट के डॉक्युमेंट पर भी एडमिशन

■ मैं दिल्ली का निवासी हूं। मुझे जानना है कि क्या मैं EWS/SC/ OBC कोटा जनरल फॉर्म के साथ भी भर सकता हूं? - अनिल शर्मा

75% ओपन सीट के साथ ऐसा कोई कोटा नहीं होता है। बाकी 25% सीटें EWS/DG कैटेगरी की होती हैं। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय इस कैटेगरी के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी करेगा। बाकी आप ओपन सीट और EWS/DG सीट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

■ क्या एडमिशन फॉर्म में पिता के बारे जानकारी देना जरूरी है? मैं सेपरेशन परियड में हूं और अपने पैयैंट्स के साथ रह चही हूं। बच्चे के पिता दूसरे राज्य में हैं और मेरे पास उनके डॉक्युमेंट्स नहीं हैं। - शिखा राजपूत

आप इसे लेकर केस को कांपी के साथ एक ऐलाकेशन दे सकती हैं। आप बच्चे के पिता का नाम फॉर्म में लिख सकती हैं, उनके डॉक्युमेंट्स जरूरी नहीं हैं। किसी एक पैरंट के डॉक्युमेंट से एडमिशन प्रोसेस की जा सकती है।

■ EWS/DG के लिए भी फॉर्म की



एक्सपर्ट : रुमा पाठक
एम. एम. पब्लिक
स्कूल, पीतमपुरा

नरसी एडमिशन पर पूछे सवाल

नरसी एडमिशन को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम एक्सपर्ट से पूछकर उनके जवाब एनबीटी में प्रकाशित करती हैं।

हमें ईमेल कर जान सकते हैं जवाब

nbtdelli@gmail.com पर ईमेल कर आप एडमिशन से जुड़े अपने सवाल भेजें और subject में लिखें- nursery admission

लास्ट डेट 4 मार्च है? - मनीष

ओपन सीट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 मार्च है। EWS/DG कैटेगरी

की 25% सीटों के लिए अभी एडमिशन

शेइयूल और गाइडलाइंस नहीं आए हैं।

■ मेरा बेटा अगस्त में 6 साल का हो

जाएगा। नरसी ओर केजी उसने कर

ली है। उसे यूकेजी या क्लास 1 में

एडमिशन दिलवाएं? - ललित शर्मा

उम्र के हिसाब से आप बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दिलवाएं।

■ मेरी भतीजी को डीजी कैटेगरी

में ओबीसी से एडमिशन कराना है।

जाएगा। उसका ओबीसी सर्टिफिकेट अभी

■ क्या उम्र में छूट केजी के लिए भी है? अगर हाँ, तो यह सर्कुलर कहाँ

मिलेगा? - हरीश

नरसी के अलावा एज लिमिट में 30 दिन की छूट केजी और क्लास 1 के लिए

भी है। इसका सर्कुलर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in पर है।

■ मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 26/3/2018 है। क्या उसका एडमिशन नरसी में अगले साल हो पाया? क्या एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है या फिर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट काफी है?

- गुलशन रोहिल्ला

आपका बेटा इसी साल नरसी में एडमिशन ले सकता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। आधार कार्ड जरूरी नहीं है मगर कई स्कूल एडमिशन के बत्त मांगते हैं इसलिए बनवा लें।

बना नहीं है। क्या उसकी बड़ी बहन के ओबीसी सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं? पिता की मौत हो चुकी है।

आपको बच्चे का ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अभी EWS/DG का शेइयूल नहीं आया है। अभी आपके पास बत्त है, इसे जल्द से जल्द बनवा लें। अगर बत्त पर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो पिता का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दें।